न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–65 / 2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–04 / 2026.
सरकार बनाम् खुशबू कुमारी
अंतर्गत धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 126(2), 115(2), 303(2), 74, 76, 351(2), 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000443-2026

खुशबू कुमारी, पति–स्व0 रविशंकर,, उम्र करीब–32 वर्ष,
निवासी ग्राम–लालगढ़ योगिया, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर.....आवेदिका।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता –श्री मधुकान्त पाण्डेय।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
09.03.2026

दिनांक–09.03.2026 **आदेश**

आवेदिका अभियुक्त–खुशबू कुमारी, जिनका मामला श्यामपुर भटहां थाना कांड कांड संख्या–04 / 2026, अंतर्गत धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 126(2), 115(2), 303(2), 74, 76, 351(2), 3(5) of BNS. के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्व विद्वान अधिवक्ता श्री मधुकान्त पाण्डेय के द्वारा संचा. लित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सूचिका रौशनी देवी ने अपने आवेदन में लिखी है कि–मेरे हिस्सा का जमीन, जिसका (1) खाता–1930, खेसरा–2102, कुल रकवा–1.22 डी0 है, जिसमें हम दोनों देयादिन के बीच 55 डी0 हिस्सा मिला है, जिसमें खुशबू कुमारी,(अभियुक्त) पति–स्व0 रविशंकर से नीलमणि ने फर्जी तरीकें से अपने व अपने छोटे पुत्र आदित्य कृष्णन के नाम पर यह पूरा हिस्सा 45 डी0 रजिस्ट्री करा लिया, जिसका छायाप्रति संलग्न है। इसमें गवाह नंदकिशोर सिंह, पिता–रामेश्वर सिंह, ग्राम–लालगढ़ योगिया के निवासी हैं और उमाकांत सिंह, पिता–हरिनंदन सिंह, ग्राम–मानपुर के निवासी हैं। (2) खाता नं0–1930, खेसरा–2129, कुल रकवा–2 बीघा है, जिसमें हमारे ननद को लेकर पॉच हिस्से का जमीन में खुशबू कुमारी (अभियुक्त) ने कुमारी रानी, पति–नीलमणि ने गलत तरीकें से 120 डी0, यानी 01 बीघा 04 कट्ठा रजिस्ट्री करा लिया, जिसमें गवाह नंदकिशोर सिंह, पिता–रामेश्वर सिंह एवं हरिनारायण सिंह, पिता–बच्चू सिंह है। (3) खाता–1821, खेसरा–1237, कुल रकवा–1.28 डी0 यह खाता मेरे ससुर के दोनों भाई के नाम से है, इसमें हम दोनों देयिादिन को हिस्सा में 64 डी0 जमीन मिला है, जिसमें पॉच हिस्सा लगा। ननद ने अपना हिस्सा खोजा इसमें खुशबू कुमारी(अभियुक्त) ने गलत तरीके से नीलमणि व नीलमणि के पुत्र सिद्वार्थ कृष्णन के नाम पर 17 डी0 जमीन लिख दिया, जिसमें गवाह नंदकिशोर सिंह, पिता–रामेश्वर सिंह एवं हरिनारायण सिंह, पिता–बच्चू सिंह है। (4) खाता–1980, खेसरा–1234, कुल रकवा–42 डी0 है। यह जमीन बहनोई के द्वारा प्राप्त है, जिसमें आधा हिस्सा मेरे चचेरा ससुर का हिस्सा है और आधा मेरे ननद और देयादिन को लेकर पॉच हिस्सा बटेगा, जिसमें खुशबू कुमारी(अभियुक्त) ने गलत तरीकें से नीलमणि व उनके बड़ा लड़का सिद्वार्थ कृष्णन को 17 डी0 जमीन लिख दिया, जिसमें गवाह उक्त दोनों व्यक्ति हैं। यह सारा जमीन नीलमणी, पिता–अरुण कुमार सिंह, सा0–लालगढ़ योगिया, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर ने अपने पत्नी व अपने दोनों पुत्र के नाम से गलत तरीकें से रजिस्ट्री करा लिया है एवं खुशबू देवी(अभियुक्त) ने गलत तरीकें से अपने चाचा को भी गवाह के रूप में बना रखा है, जिनका नाम हरिनारायण सिंह है। आज दिनांक–

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–65 / 2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–04 / 2026.
सरकार बनाम् खुशबू कुमारी
अंतर्गत धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 126(2), 115(2), 303(2), 74, 76, 351(2), 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000443-2026

दिनांक–09.03.2026 **–2–**

04.01.2026 को समय करीब 13.15 बजे सूचना मिला कि मेरी देयादिन खुशबू कुमारी (अभियुक्त), नीलमणी, आदित्य कृष्णन, सिद्वार्थ कृष्णन, अरुण कुमार सिंह, हरिनारायण सिंह, यह सभी लोग मेरा घरारी खरीदने के लिए नापी करने आया है। इस पर हम वहॉ गये तथा बोले कि हमरा जमीन तुमलोग क्यों नापी करा रहे हो, जबकि इस घरारी के बदले तुमको पंचनामा के आधार पर इसके बदले में गाछी में तुमको हिस्सा मिल चूका है, इस बात पर नीलमणी हमको उठाकर पटक दिया तथा मेरा लुगा, कपड़ा, ब्लाउज फाड़ दिया तथा हमको अर्द्वनग्न कर दिया और मेरे साथ गलत करने का प्रयास करने लगा और खुशबू कुमारी (अभियुक्त) हमारा बाल पकड़ कर घसीटने लगी और आदित्य कृष्णन व सिद्वार्थ कृष्णन ने मेरे गले का सोने का चैन छीन लिया तथा गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगा, तब तक मेरे गॉव के लोग आ गये तथा हमारा छोटा भाई अविनाश हमको बचाने के लिए घर में से भागकर आया तो इन उपरोक्त लोगों ने उसे भी मारकर जख्मी कर दिया। नीलमणि एक फर्जी डाक्टर के रूप में सीतामढ़ी में क्लिनिक चलाता है, जिस पर सीतामढ़ी में मुकदमा भी दर्ज है। यह फर्जीवारा कर गॉव का 13 बीघा जमीन बिहार सरकार का लिखा लिया है तथा विरोध करने पर सीतामढ़ी से बदमाश बुलाकर घटना को अंजाम देता है। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदिका अभियुक्त–खुशबू कुमारी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदिका की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदिका एक विधवा महिला है, जिसका पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद भूमि विवाद से संबंधित है, जो दीवानी प्रवृत्ति का है। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद तथा प्रस्तुत वाद की सूचिका एवं उसके परिवार वालों ने प्रार्थी आवेदिका के साथ घटना कारित किया है, जिसके लिए प्रस्तुत वाद के प्राथमिकी के नामित सहअभियुक्त–नीलमणी ने प्रस्तुत वाद की घटनातिथि को ही प्रस्तुत वाद की सूचिका एवं अन्य के विरूद्व श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–05 / 2026 (प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न)। दर्ज करायी है। आवेदिका ने अपने हिस्से की जमीन बिक्री किया है, जो उसका वैधानिक अधिकार है। सूचिका ने आवेदिका की भूमि हड़पने की नियत से झूठे केस में फंसाया है। आवेदिका सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उसके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदिका अभियुक्त के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है, जो भूमि विवाद से संबंधित है तथा आवेदिका अभियुक्त–खुशबू कुमारी, जो प्रस्तुत वाद की सूचिका की देयादिन है, पर सूचिका का बाल पकड़कर घसीटने का आरोप है। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद एवं भूमि विवाद है और दोनों पक्षों ने प्रस्तुत वाद की घटनातिथि को ही एक–दूसरे के विरूद्व मामला दर्ज कराया है, जिसके समर्थन में आवेदिका की ओर से अग्रिंम जमानत आवेदन के साथ श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–05 / 2026 के प्राथमिकी की छाया–प्रति संलग्न की गई है। कंडिका–02. पर वादिनी का पुनःबयान है। कंडिका–03 एवं 10. पर साक्षियों ने घटना का समर्थन करते हुए दोनों

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–65 / 2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–04 / 2026.
सरकार बनाम् खुशबू कुमारी
अंतर्गत धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 126(2), 115(2), 303(2), 74, 76, 351(2), 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000443-2026

दिनांक–09.03.2026 **–3–**

पक्षों के बीच भूमि विवाद की भी बात कहा है। कंडिका–16. पर वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका अभियुक्त, जो कि एक विधवा महिला है, के विरूद्व थाना अभिलेख में इस कांड के अलावे पूर्व से कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका अभियुक्त–खुशबू कुमारी को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2)बी0एन0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0 / –

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
09.03.2026